संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

ww.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 11/09/2024

–विज्ञप्ति–

–स्नातक प्रथम चरण काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)–

–बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस–

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2023 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	NEET UG -2024 के पात्र उम्मीदवारो के द्वारा ऑनलाईन पंजीयन तिथि	दिनांक 19/09/2024 से 24/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
2	पंजीयन फार्म में ऐडिड करने की सुविधा (Please note that once the candidate's details have been verified, they will not be able to make any further changes to their registration information.)	दिनांक 19/09/2024 से 24/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
3	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 20/09/2024 से 25/09/2024 सायं 05 बजे तक
4	रिक्त सीटो की स्थिति	दिनांक 23/09/2024
5	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 26/09/2024
6	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग)	दिनांक 27/09/2024 से 30/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
7	च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट करने की सुविधा	दिनांक 27/09/2024 से 30/09/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
8	सीट आवंटन	दिनांक 04/10/2024
9	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 05/10/2024 से 08/10/2024 सायं 05 बजे तक
10	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 05/10/2024 से 08/10/2024 सायं 06 बजे तक

नोट:–

1– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

3– उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

4– भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

5– नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल–www.ayush.mponline.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

10/9/24

औषधि निरीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0